संख्या– /XXVIII(5)/2025-(E-52311)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–5 देहरादूनः दिनांक मार्च 2025

विषय– Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) **योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में 45 संकाय सदस्यों हेतु ट्रॉजिस्ट हॉस्टल के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Uttarakhand दिनांक 10 मार्च, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल में 45 संकाय सदस्यों हेतु ट्रॉजिस्ट हॉस्टल के निर्माण कार्यो हेतु टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 850.19 लाख (S.I मद में ₹ 756.66 लाख तथा N.S.I मद में ₹ 93.53 लाख) के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 100.00 लाख को सम्मिलित करते हुए अवमुक्त किये जाने हेतु अवशेष धनराशि ₹ 750.19 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि **₹ 750.00 लाख (₹ सात करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. शासनादेश संख्या–224405/XXVIII(5)/2025 (E-52311) दिनांक 11 जुलाई, 2024 में उल्लिखित शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/ गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
3. उक्तानुसार निर्माण कार्य एवं खर्च में गति लायी जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मद हेतु ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित कॉलेज के प्राचार्य तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को होगा।
5. उक्त योजना हेतु धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका कक नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017/ प्रोक्योरमैन्ट रूल, 2017 तथा अन्य शासनादेशों कक अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुंनिश्चित किया जाय।

6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है।
7. Third Party quality testing निर्माण कार्यो की गुणवत्ता आदि की जॉच कराते हुए जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।
8. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड तथा प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर द्वारा समय–समय पर निर्माण कार्यो की प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।
9. कार्य की प्रगति की निरन्तर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय–सारणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2025 तक उपयोग करते हुए GFR 2017 के Form-12-B प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।
11. उक्त धनराशि Special Assistance to State for Capital Investment (SASCI) योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही है। अतः योजना की गाईडलाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग किया जाय।

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–283974 /2025 दिनांक 20 मार्च, 2025 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 20-03-2025 17:33:02

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

i. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
ii. आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
iii. वित्त अनुभाग–1 एवम् 3, उत्तराखण्ड शासन
iv. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
v. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर।
vi. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
vii. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
viii. गार्ड फाइल।